न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 22 / 2025

उनवान

1. कचरू पिता राजेंग निवासी लसाड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
2. लालजी पिता राजेंग निवासी लसाड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
3. मोगी पत्नि राजेंग लसाड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
4. धनजी पिता गंगा जाति भील निवासी लसाड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
5. राजु पिता शंकर जाति भील निवासी लसाड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
6. धापु पत्नि शंकर जाति भील निवासी लसाड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
7. पवन पिता कचरा जाति भील निवासी लसाड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।

—: प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।

—: अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 27.03.2025

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 2976 रकबा 0.07 हे. पटवार हल्का लसाड़ा के मौजा लसाड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा में स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण कब्जा काश्त उपभोग — उपयोग करते चले आ रहे है। उक्त सर्वे नम्बर का प्रार्थीगण द्वारा कृषि से आबादी में रूपान्तरण करवाया गया था। उक्त भूमि के कृषि से आबादी रूपान्तरण आदेश क्रमांक राजस्व / 05 / 491—495 दिनांक 28.6.2005 द्वारा प्रार्थीगण के नाम रूपान्तरण किया गया। परन्तु त्रुटी पूर्वक उक्त भूमि का आबादी नामान्तरण प्रार्थीगण के नाम न होकर राजस्व रिकार्ड में जरिए नामान्तरण संख्या 448 दिनांक 22.7.2005 द्वारा गैर मुमकीन आबादी दर्ज कर दिया गया। जबकि उक्त भूमि खातेदारी भूमि होने के कारण कृषि से आबादी में रूपान्तरण करने के पश्चात् प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड होनी चाहिए थी। खातेदार राजेंग की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान कचरू पिता राजेंग, लालजी पिता राजेंग एवं मोगी बेवा राजेंग को पक्षकार बनाया गया है। तथा देवु के लाओलाद फोत होने व झुम पत्नि गंगा एवं रूप पत्नि कचरा की मृत्यु हो जाने से पक्षकार नहीं बनाया गया है। राजस्व कर्मचारियों से हुई उक्त त्रुटि को दुरस्त कर उक्त भूमि को पुनः वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड किये जाने प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया।

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.04.17 11:13:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्ट होकर अप्रार्थी के नाम सम्मन जारी किया गया। अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी का जवाब पेश हुआ।

भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार खातेदार राजेंग, धनजी पिता गंगा, देवु, राजु पिता शंकर (ना.बा.) स.प. माता धनु बेवा शंकर व झुम बेवा गंगा, पवन पिता कचरा व रूप बेवा कचरा भील निवासी लसाडा के नाम आराजी नम्बर 2976 रकबा 0.07 हे0 भूमि तहसीलदार के आदेश क्रमांकः– राजस्व/02/491–495 दिनांक 28.6.2005 के तहत् कृषि से आबादी (आवासीय) सम्परिवर्तन हुआ। उक्त सम्परिवर्तन होने के पश्चात् राजस्व कार्मिको द्वारा त्रुटी पूर्वक उक्त भूमि का आबादी रूपान्तरण खातेदारों के नाम न होकर राजस्व रेकार्ड में जरिये नामान्तरण संख्या 448 दिनांक 22.7.2005 द्वारा गैर मुमकिन आबादी रिकार्ड दर्ज हुई। उक्त आराजी नम्बर 2976 रकबा 0.07 हे0 किस्म आबादी भूमि पर वर्तमान में खातेदारों का ही कब्जा है। तहसीलदार, गढ़ी द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि का बिलानाम आबादी से खातेदारो के नाम शुद्धि किये जाने की अनुशंसा मय जांच रिपोर्ट, नामानतरण कॉपी, जमाबन्दी नकल पेश की।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संलग्न दस्तावेजो एवं भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा रिपोर्ट के संलग्न दस्तावेजो के अवलोकन से यह साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर 2976 रकबा 0.07 हे. वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड थी। किन्तु प्रार्थीगण द्वारा वर्ष 2005 में कराये गये भूमि रूपान्तरण के पश्चात् हुए नामान्तरण संख्या 448 द्वारा उक्त भूमि गैर मूमकीन आबादी बिलावा दर्ज रिकार्ड हो गई। जिसे सही कर वादीगण के नाम पुनः खातेदारी दर्ज कर [illegible] दर्ज किया जाना उचित है। अतः पटवार हल्का लसाडा के मौजा लसाडा की आराजी नम्बर 2976 रकबा 0.07 हे. किस्म–आबादी भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 27.3.2025 को सरे इजराय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.04.17 11:13:30 IST
Reason: SelfAttested

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा